[25/2/2021]

प्रश्न सं. [क्र. 819]

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
::मंत्रालय::
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक सी.आर.-9/92/म/31 /1401

भोपाल,दिनांक 31.12.2005

//आदेश//

मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम 1931 (क्रमांक-3 सन् 1931) की धारा 37 की उपधारा (2) सहपठित मध्यप्रदेश सिंचाई नियम, 1974 के नियम 36 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा सम्पूर्ण राज्य मे यथा विद्यमान तथा निर्मित किये जाने वाले समस्त तालाबों, नहरों आदि से, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट फसलों के लिए, जल प्रदाय हेतु उक्त अनुसूची के कालम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट [illegible] दिनांक 1 नवम्बर, 2005 से दिनांक 31.10.2006 तक नियत करती है, अर्थात :-

मध्यप्रदेश मे सिंचाई संकर्मो से, कृषि प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय हेतु जल दर की अनुसूची प्रवाह [(FLOW) एवं उद्वहन सिंचाई)]

स.क्र.	फसलो के नाम	जल दर रूपयो में प्रति हेक्टेयर
1	2.	3.
1	धान (खरीफ) प्रत्येक बार पानी पर	
2.	हरी घास वाली फसले, मूंगफली (खरीफ) ज्वार, मक्का, मूंग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ तिल, तुअर)(खरीफ), उडद प्रत्येक बार पानी पर	85
3	कपास ~~प्रत्येक बार पानी पर~~	50
4	धान (रबी) प्रत्येक बार पानी पर	70
5.	गेहूँ 1. पलेवा 2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी पर	 155 125
6.	चना प्रत्येक बार पानी पर	75
7.	धनिया, मूंगफली (रबी), मूंग, (रबी) सरसों, कुसुम (सेटफलावर) सूरजमुखी (सनफलावर) सोयाबीन (रबी), तुअर (रबी) प्रत्येक बार पानी पर	75 75

8	जौ, बैगन, गाजर, गोभी, मिर्च, [illegible] [illegible], मेथी, अदरक, लहसुन ग्वारफली, भिण्डी, [illegible], मटर, खरबूज,कद्दू, आलू, मूली, पालक, तम्बाकू, टमाटर, हल्दी, तरबूज, हरी सब्जियाँ	630
9	बरसीम घास (फाडर क्राप)	
10	केले, पान, उद्यान फसलें, [illegible]	480
11	जमीन तैयार करने के लिए जल [illegible]	960
	अ खरीफ	
	ब रबी	125
12	ऊपर वर्णित फसलों के अतिरिक्त [illegible] खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए प्रदाय किये गये प्रत्येक पानी पर	125 50

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

31/12/05

(राजन श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन,जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक सी.आर.-9/92/ए/31/1402
भोपाल,दिनांक 31.12.2005

प्रतिलिपि:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव म0प्र0 शासन भोपाल ।
2. उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन भोपाल ।
3. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल
5. समस्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग म0प्र0
6. सचिव, मुख्य नियंत्रण मंडल जल संसाधन विभाग भोपाल ।
7. समस्त जिलाध्यक्ष म0प्र0 ।
8. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग भोपाल ।
9. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग म0प्र0 ।
10. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, भोपाल ।
11. निज सचिव/निज सहायक, मान0 मंत्री जल संसाधन विभाग भोपाल ।
12. समस्त उप सचिव/अवर सचिव/वि0क0अ0 म0प्र0 शासन जल संसाधन विभाग भोपाल ।
13. संचालक, जन संपर्क संचालनालय बाणगंगा चौराहा के पास भोपाल ।

31/12/05

(राजन श्रीवास्तव)
अवर सचिव,
म0प्र0 शासन,जल संसाधन विभाग

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रपत्र "ब"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 819 (श्री सुरेन्द्रसिंह हनी बघेल) के
प्रश्नांश 'ख' के संबंध में जानकारी

(राशि रूपये लाख में)

स.क.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	कृषकों की संख्या	विगत तीन वर्षो से सिंचाई हेतु लिये गये शुल्क की राशि	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	196--सरदारपुर	23377	56.5	
2	197--गंधवानी	23203	43.41	
3	198--कुक्षी	5219	9.81	
4	199--मनावर	9860	19.08	
5	200--धरमपुरी	9242	15.77	
6	201--धार	1191	1.75	
7	202--बदनावर	14366	15.56	

(अविनाश कुलकर्णी)
मुख्य अभियंता
नर्मदा ताप्ती कछार
जल संसाधन विभाग, इंदौर